महत्वपूर्ण

दूरभाष 2237604 (का0)

बृजेश यादव,
निदेशक

अ0शा0प0सं0- 592 /01/प्रा0र0मू0प्र0/2025

व्यय वित्त समिति सचिवालय
(प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग)
राज्य नियोजन संस्थान,उत्तर प्रदेश
628, योजना भवन, लखनऊ।

दिनाँक : 28 जनवरी, 2026

आदरणीय महोदय,

कृपया व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 12 जनवरी, 2026 में निम्नलिखित विषयों पर विचार-विमर्श कर अध्यक्ष व्यय वित्त समिति द्वारा कतिपय निर्देश दिये गये हैं।

अन्य बिन्दु -(1) विभिन्न प्रायोजना प्रस्तावों हेतु आकस्मिक व्यय के निर्धारण के सम्बन्ध में।

अन्य बिन्दु -(2) ई0पी0सी0 मोड के अंतर्गत कार्यान्वित प्रायोजनाओं के प्रस्ताव / विस्तृत आगणन (डी0पी0आर0) के परीक्षण के सम्बन्ध में।

बैठक के उक्त विषय के कार्यवृत्त संलग्न कर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

सादर,

भवदीय,

28.01.2026

संलग्नक-उपरोक्तानुसार

(बृजेश यादव)

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
   उ0प्र0 शासन।
2. प्रबन्ध निदेशक/निदेशक/प्रमुख अभियंता
   समस्त कार्यदायी संस्थाएं, उ0प्र0 लखनऊ।
3. मुख्य अभियंता, तकनीकी सेल, ई0पी0सी0 मिशन
   नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।

प्रबन्ध निदेशक शिविर में
पत्र प्राप्ति की तिथि 29.1.2.1...2026
प्र0नि0 का डायरी संख्या 3751
दिनांक 29.01...2026

Most Urgent

सं.प्र.नि. (नि./प0) / अ0प्र0 (नियोजन) / अंचल के अ0प्र0 / प्र0 प0 प्र0 / (आ0नि0) मु0 प0 प्र0 (आगणन)

(धर्म वीर सिंह)
प्रबन्ध निदेशक

Scanned with OKEN Scanner

व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 12.01.2026 का कार्यवृत्त

अन्य बिन्दु-1

विषय: विभिन्न प्रायोजना प्रस्तावों हेतु आकस्मिक व्यय के निर्धारण के सम्बन्ध में।

समिति को अवगत कराया गया कि विभिन्न प्रकार की प्रायोजनाओं में आकस्मिक व्यय के निर्धारण के सम्बन्ध में दिनांक 15.02.2020 को आहूत व्यय वित्त समिति की बैठक में सम्यक विचारोपरान्त निम्नवत् निर्णय लिया गया था:-

क्र0सं0	प्रायोजना की लागत सीमा	आकस्मिक व्यय
1	रु0 25.00 करोड़ तक	2.00 प्रतिशत
2	रु0 25.00 करोड़ से अधिक एवं रु0 50.00 करोड़ से कम	2.00 प्रतिशत अथवा अधिकतम रु0 50.00 लाख
3	रु0 50.00 करोड़ से अधिक	1.00 प्रतिशत

2- विभिन्न प्रशासकीय विभागों द्वारा व्यय वित्त समिति / प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग के समक्ष प्रस्तुत की जा रही प्रायोजना प्रस्तावों / आगणनों में प्रायोजना की प्रस्तावित लागत में अलग-अलग प्रतिशत के आधार पर आकस्मिक व्यय के मद में धनराशि प्रस्तावित की जा रही है। उक्त के अतिरिक्त रु0 50.00 करोड़ से अधिक लागत / वृहद प्रायोजनाओं में 1.00 प्रतिशत आकस्मिक व्यय की अनुमन्यता के कारण इस मद में अत्यधिक धनराशि स्वीकृत हो जाती है, जिसके अपव्यय की संभावना अधिक रहती है।

3- राजकीय कार्यदायी संस्थाओं को अनुमन्य सेन्टेज चार्जेज़ (प्रतिशत प्रभार) के सम्बन्ध में विचार कर वित्त (लेखा) अनुभाग-2 का शासनादेश सं0- 01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 17 मई, 2023 निर्गत किया गया, जिसमें प्रायोजनाओं की लागत के अनुसार सेन्टेज चार्जेज (प्रतिशत प्रभार) को Rationalise किया गया। उक्त के परिप्रेक्ष्य में व्यय वित्त समिति द्वारा संज्ञान में लिया गया कि आकस्मिक व्यय की देयता के सम्बन्ध में भी पुनर्विचार किया जाना आवश्यक है।

4- सम्यक विचार-विमर्श के उपरान्त व्यय वित्त समिति द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-

(1) समस्त प्रकार की प्रायोजनाओं (ई0पी0सी0/नॉन-ई0पी0सी0) में आकस्मिक व्यय की दर निम्नलिखित तालिका के अनुसार निर्धारित की गयी है, जोकि तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगी:-

क्र0सं0	प्रायोजना की लागत सीमा	आकस्मिक व्यय
1	रु0 25.00 करोड़ तक	1.00 प्रतिशत
2	रु0 25.00 करोड़ से अधिक एवं रु0 50.00 करोड़ तक	0.50 प्रतिशत
3	रु0 50.00 करोड़ से अधिक एवं रु0 100.00 करोड़ तक	0.25 प्रतिशत
4	रु0 100.00 करोड़ से अधिक	अधिकतम रु0 50.00 लाख

क्रमशः...2

Scanned with OKEN Scanner

(2) भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित प्रायोजनाओं में आकस्मिक व्यय की दर भारत सरकार द्वारा सम्बन्धित प्रायोजना/योजना हेतु निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार देय होगी।

(3) प्रायोजनाओं में विभिन्न प्रकार की यूटिलिटी शिफ्टिंग यथा- विद्युत् लाइन्स शिफ्टिंग, पेयजल/सीवर पाइपलाइन शिफ्टिंग, वन विभाग से संवधित वृक्षों के रोपण एवं पातन इत्यादि हेतु आकस्मिक व्यय की दर भी प्रस्तर-4(1) पर अंकित तालिका के अनुसार देय होगी।

(4) प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में सम्मिलित आकस्मिक व्यय के मद में प्रावधानित धनराशि का व्यय सक्षम स्तर के अनुमोदन के उपरान्त वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित कार्यमदों में ही किया जायेगा तथा इस मद में वास्तविक व्यय ही देय होगा। अन्यथा की स्थिति में यह वित्तीय अनियमितता (Irregularity) मानी जायेगी।

(कार्यवाहीः समस्त प्रशासकीय विभाग / विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष / तकनीकी सेल, ई0पी0सी0 मिशन, नियोजन विभाग / राजकीय कार्यदायी संस्थाएं / निर्माण एजेंसियां)

14/01/2026

(बृजेश यादव)
निदेशक, पी0एफ0ए0डी
सदस्य- संयोजक

(सी0पी0 गुप्त)
मुख्य अभियंता (भवन),
लो0नि0वि0- सदस्य

(दीपक कुमार)
अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त
अध्यक्ष, व्यय वित्त समिति

Scanned with OKEN Scanner

व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 12.01.2026 का कार्यवृत्त

अन्य बिन्दु-2

विषय: ई0पी0सी0 मोड के अंतर्गत कार्यान्वित प्रायोजनाओं के प्रस्ताव / विस्तृत आगणन (डी0पी0आर0) के परीक्षण के सम्बन्ध में।

समिति की अपेक्षा पर ई0पी0सी0 मोड में कार्यान्वित प्रायोजनाओं के सम्बन्ध में निम्नवत् अवगत कराया गया:

1- प्रदेश मे रु0 50.00 करोड से अधिक लागत वाले शासकीय भवनों का निर्माण ई0पी0सी0 मोड में कराये जाने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या- 19/2019/बी-2-615/दस-2019 दिनांक 13 दिसम्बर, 2019 द्वारा नीति निर्धारित की गयी।

2- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या- 24/2022/बी-2-218/दस-2022-एम-3/2019 दिनांक 07 अक्टूबर, 2022 द्वारा रु0 50.00 करोड से अधिक लागत वाले शासकीय भवनों का निर्माण ई0पी0सी0 मोड से कराये जाने के सम्बन्ध में प्रक्रिया निर्धारित की गयी।

3- मुख्य अभियंता (भवन), लोक निर्माण विभाग द्वारा व्यय वित्त समिति को अवगत कराया गया कि प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय तकनीकी समिति की बैठक दिनांक 19.12.2022 में ई0पी0सी0 मोड के अंतर्गत भवन कार्यो के डी0पी0आर0 परीक्षण के सम्बन्ध में निम्नलिखित समिति का गठन किया गया है:-

1)	सम्बन्धित मुख्य अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0, लोक निर्माण विभाग	अध्यक्ष
2)	अधीक्षण अभियंता, भवन सेल, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ	सदस्य
3)	सम्बन्धित अधीक्षण अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0 वृत्त, लोक निर्माण विभाग	सदस्य संयोजक

उपर्युक्त समिति का यह दायित्व है कि आगणन में लिये गये प्रावधानों की लागत में प्रचलित प्लिंथ एरिया रेट्स के आधार पर आंकलित लागत के साथ तुलना करते हुए संस्तुति प्रदान किये जाने के साथ-साथ प्रायोजना हेतु चयनित प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग कंसल्टेंट (PMC) द्वारा प्रस्तुत डी0पी0आर0 में लिये गये प्रावधानों के कारण Inflated आगणनों के गठन की सम्भावना न रहे तथा कोई प्रावधान अनावश्यक सम्मिलित न हो और न ही कोई आवश्यक प्रावधान छूट जाये।

4- वित्त (आय-व्ययक), अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या- 29/2023/बी-2-673/दस-2023 दिनांक 19 अक्टूबर, 2023 द्वारा शासनादेश दिनांक 07 अक्टूबर, 2022 में कतिपय संशोधन किये गये।

क्रमशः...2

Scanned with OKEN Scanner

5- व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 16.07.2025 में ई0पी0सी0 प्रायोजना प्रस्तावों / आगणनों के गठन मे प्रयुक्त मात्राओं, दरों एवं विशिष्टियों इत्यादि के सम्बन्ध में "मुख्य अभियंता (सम्बन्धित पी0एम0जी0एस0वाई क्षेत्र), लोक निर्माण विभाग एवं मुख्य अभियंता, तकनीकी सेल, ई0पी0सी0 मिशन एवं सम्बन्धित पी0एम0सी0/ डी0पी0आर0 कन्सल्टेंट" का उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है।

6- समिति की अपेक्षा पर मुख्य अभियंता (भवन), लोक निर्माण विभाग द्वारा व्यय वित्त समिति को अवगत कराया गया कि प्रस्तर-3 में उल्लिखित समिति नियमित एवं प्रभावी रूप से अपेक्षित दायित्वों का निर्वहन कर रही है।

7- सम्यक विचार-विमर्श के उपरान्त व्यय वित्त समिति द्वारा यह निर्देशित किया गया कि ई0पी0सी0 मोड के अंतर्गत कार्यान्वित प्रायोजनाओं के प्रस्ताव / विस्तृत आगणन ई0पी0सी0 मोड के अंतर्गत भवन कार्यों के डी0पी0आर0 परीक्षण के सम्बन्ध में सम्बन्धित मुख्य अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0, लोक निर्माण विभाग की अध्यक्षता में गठित समिति के परीक्षण / अनुमोदन के उपरान्त ही प्रस्ताव व्यय वित्त समिति के विचारार्थ प्रेषित किये जायें। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाये कि व्यय वित्त समिति के विचारार्थ प्रेषित किये जाने वाले उक्त प्रायोजनाओं के प्रस्ताव / विस्तृत आगणन में उपर्युक्त समिति की बैठक के कार्यवृत्त की प्रति भी अनिवार्य रूप से संलग्न की जाये।

(कार्यवाहीः समस्त प्रशासकीय विभाग / प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग / तकनीकी सेल, ई0पी0सी0 मिशन, नियोजन विभाग)

14/01/2026

(बृजेश यादव)
निदेशक, पी0एफ0ए0डी
सदस्य- संयोजक

(सी0पी0 गुप्त)
मुख्य अभियंता (भवन),
लो0नि0वि0- सदस्य

(दीपक कुमार)
अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त
अध्यक्ष, व्यय वित्त समिति

Scanned with OKEN Scanner